<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण कः = 811 / 14</u> संस्थापन दिनांकः = 10 / 11 / 14 फाईलिंग नं. 233504004182014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्व

प्रमोद पिता शिवनारायण सेठिया, उम्र 34 वर्ष, निवासी वार्ड क. 03 कसारी मोहल्ला आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 26.04.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 294, 324, 506 भाग—दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 27.10.2014 को समय शाम 07:30 बजे फरियादी की दुकान के पास मेन रोड आमला थाना आमला जिल बैतूल के अंतर्गत लोकस्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी अनिल और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को धारदार वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 27.10. 2014 को शाम 07:30 बजे अपनी दुकान के पास में था। तभी वहां अभियुक्त आया तो उसने अभियुक्त को उधार दिये पैसे मांगे तो अभियुक्त ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी। फरियादी द्वारा गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने उसे दो थप्पड़ बांये गाल पर मारे। अभियुक्त ने उसे जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क. 899/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
- 2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
- 3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
- 4. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी को धारदार वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 5. क्या ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
- 6. क्या अभियुक्त ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
- 7. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 06 का निराकरण

5 अनिल (अ.सा.—2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने उसे गंदी गंदी गालियां दी थी। इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा अश्लीत शब्द उच्चारित कर फरियादी अथवा अन्य को क्षोभ कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन नहीं किये हैं।

6

यद्यपि फरियादी अनिल (अ.सा.—2) ने अपने न्यायालयीन कथनों

में अभियुक्त द्वारा घटना के समय गंदी गंदी गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा किन—किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत वंशी विरुद्ध रामिकशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 फरियादी अनिल (अ.सा.—2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने उसे मारने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन नहीं किये हैं। साक्षी अनिल (अ.सा.—2) ने अभियुक्त द्वारा उसे मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु अभियुक्त द्वारा उपरोक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्त का उसके द्वारा दी गयी धमकी को कियान्वित करने का आशय रहा हो। अतः मारपीट के समय दी गई धौंस मात्र से धारा—506 भाग—2 भा0दं०सं० का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04 एवं 05 का निराकरण

- 8 अनिल (अ.सा.—2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ने उसे हाथ थप्पड़ से मारा था और जब अभियुक्त ने उसे मारा तो उसका हाथ चेनल गेट से टकरा गया था जिससे उसकी हथेली कट गयी थी।
- 9 डॉ. लिलता पाटिल (अ.सा.—4) ने दिनांक 30.10.2014 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आमला में चिकित्सक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत अनिल का परीक्षण किये जाने पर आहत के दांहिने हाथ के पंजे पर 0.5 गुणा 0.1 सेमी. आकार की खरोच जो सख्त एवं धारदार वस्तु की रगड़ से आना प्रकट करते हुए चिकित्सकीय रिपोर्ट प्रदर्श प्री—4 को प्रमाणित किया है।
- 10 जी.एस. ठाकुर (अ.सा.—5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 27.10.2014 को थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए फरियादी अनिल की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध

प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी—1) लेखबद्ध किया जाना प्रकट करते हुए उसे प्रमाणित किया है। साक्षी ने प्रकरण के अनुसंधाकर्ता अधिकारी टी.आर. धुर्वे की मृत्यु होना एवं उनके हस्ताक्षर से परिचित होना प्रकट करते हुए टी.आर. धुर्वे द्व ारा दिनांक 30.10.2014 को घटना का मौका नक्शा (प्रदर्श पी—5) एवं दिनांक 04.11.2014 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी—6) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना तथा उक्त दस्तावेजों पर टी.आर. धुर्वे के हस्ताक्षर होना बताया है।

- वचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी भी स्वंतत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है तथा स्वयं फरियादी ने अभियोजन कथा के अनुरूप कथन नहीं किये हैं जिससे अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिसका लाभ अभियुक्त का दिया जावे। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होने का तर्क प्रकट किया है।
- 12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में अनिल (अ.सा.—2) ने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना उसकी दुकान की है। अभियुक्त उसकी दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करता है। जब अभियुक्त उसकी दुकान के सामने आया तो उसने अभियुक्त से कहा कि जो पैसे मुझसे उधार लिये हो उसका हिसाब किताब कर दो तो अभियुक्त ने उसे हाथ थप्पड़ से मारा। थप्पड़ मारने से उसका हाथ चेनल गेट से टकरा गया था और उसकी हथेली कट गयी थी।
- कैलाश (अ.सा.—1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना दिनांक को फरियादी की दुकान पर बस्ता खरीदने के लिए गया था तब उसने देखा कि अभियुक्त और फरियादी के बीच में विवाद चल रहा है। इसके अतिरिक्त उसे घटना की जानकारी नहीं है। रामकली (अ.सा.—3) ने बताया है कि वह घटना दिनांक को फरियादी की दुकान पर बैग लेने गयी थी तो उसने देखा कि अभियुक्त और फरियादी के बीच झगड़ा हो रहा था अभियुक्त ने अनिल को एक चाटा मारा था इसके अतिरिक्त उसे घटना की जानकारी नहीं है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण के कथनों से अभियोजन का आंशिक समर्थन होता है। अतः बचाव अधिवक्ता का यह तर्क कि किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने समर्थन नहीं किया है उचित प्रतीत नहीं होता है।
- 14 बचाव अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि साक्षीगण अपने कथनों पर स्थिर नहीं है और उनके कथनों पर परस्पर विरोधाभास है जिससे अभियोजन के मामले को प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

वचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में कैलाश (अ.सा.—1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसके समक्ष अभियुक्त एवं फरियादी के बीच में केवल बातचीत हो रही थी, किस बात को लेकर विवाद हो रहा था उसे जानकारी नहीं है। रामकली (अ.सा.—3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने अभियुक्त को फरियादी को थप्पड़ मारते हुए नहीं देखा था। स्वतः में साक्षी ने कहा है कि उसके सामने थप्पड़ मारा था। इसी पैरा में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि उसने अभियुक्त को मौके पर नहीं पहचाना था परंतु वह फरियादी अनिल को जानती है और उसने देख लिया था कि अनिल को किसी ने थप्पड़ मारा था। प्रतिपरीक्षण में ही साक्षी ने इस सुझाव को भी सही बताया है कि जिसने फरियादी अनिल को थप्पड़ मारा था उसे वह नहीं जानती है।

16 फरियादी अनिल (अ.सा.—2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त उसकी दुकान से सामान उधार लेकर जाता है और अभियुक्त ने उसकी उधारी के पैसे नहीं दिये हैं। घटना दिनांक के पहले भी उसने अभियुक्त से उधारी के पैसे मांगा था परंतु अभियुक्त ने नहीं दिये। फरियादी ने बचाव के इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने पैसे मांगने की रिपोर्ट की थी। स्वतः कहा है कि अभियुक्त से पैसे मांगने पर उने अपशब्द कहकर चाटें मारे थे।

अभियोजन कथा अनुसार अभियुक्त के द्वारा फरियादी को बांये 17 गाल पर थप्पड़ से मारा गया। न्यायालयीन परीक्षण में फरियादी ने अभियुक्त के द्वारा उसे थप्पड से मारा जाना बताया है एवं यह भी बताया है कि थप्पड से मारने पर उसका हाथ चेनल गेट से टकरा गया था जिससे उसकी हथेली कट गयी थी। डॉ. साक्षी ललिता पाटिल (अ.सा.-4) ने फरियादी / आहत अनिल का परीक्षण करने पर उसके दांहिने हाथ के पंजे पर एक खरोचनुमा चोट पायी थी और चिकित्सक साक्षी ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह भी बताया है कि आहत के हाथ में आयी चोट परीक्षण से 36 से 48 घंटे के भीतर की थी। प्रकरण में फरियादी के द्वारा घटना की रिपोर्ट घटना के तत्काल पश्चात लगभग दो घंटे उपरांत ही लेख करायी गयी है परंतु साक्षी का चिकित्सकीय परीक्षण दिनांक 30.10.2014 को कराया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में फरियादी अनिल ने अपने हाथ पर चोट आने के संबंध में नहीं बताया था। साथ ही फरियादी अनिल का मुलाहिजा फार्म जो कि 27.10.2014 को भरा गया है उसमें भी मात्र आहत के बांये गाल पर दर्द होना लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है। प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी कैलाश (अ.सा.-1) ने मात्र अभियुक्त एवं फरियादी के बीच विवाद होना बताया है तथा साक्षी रामकली (अ.सा.-3) अपने परीक्षण में स्थिर नहीं रही है। साथ ही उभयपक्ष के मध्य पूर्व से पैसों का विवाद होना स्थापित है। तब इन परिस्थितियों में आहत के कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 07 का निराकरण

18 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोकस्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी अनिल और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को धारदार वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त अनिल को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 324, 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

19 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

20 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैत्ल (म.प्र.)